

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 1190 सन 2020
अनवान :-

1. भागीरथ पुत्र गंगाबिशन जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
3. कृष्णादेवी पत्नी छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
4. सन्तोष पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
5. मीरा पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
6. सरोज पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
7. सुमन पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
8. सन्दीप पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
9. कुलदीप पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
10. शकुन्तला पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
11. विमला देवी पत्नी लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
12. विमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
13. मांगीलाल पुत्र गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. सावत्री पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
15. कृष्णा पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
16. कलावती पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
17. निरजादेवी पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
18. धापादेवी पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
19. किरण बाला पुत्री कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
20. गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
21. मुकेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
22. सन्दीप नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
23. राजोदेवी पत्नी नरेन्द्र पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
24. नितेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजोदेवी पत्नी नरेन्द्र पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
25. सुशीला नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजोदेवी पत्नी नरेन्द्र पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143/3.7310 हैव भूमि अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि पूर्व में गंगाबिशन पुत्र खिराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनकी पत्नी अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज हुई थी गंगाबिशन एवं उसकी पत्नी अमरीदेवी दोनों का देहान्त हो चुका है अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार उनके पुत्र/पुत्रीया हुए जिनमें से पुत्र छगनलाल व लादुराम एवं पुत्री गीतादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें भी नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया है अर्थात अमरीदेवी के देहान्त होने पर सजरा खानदान के अनुसार उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 , 10 ता 25 वादी की बहने/मृतक बहनों के पुत्र/पुत्रीया एवं अमरीदेवी की पुत्रीया है उनके पुत्र के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 ,9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की अमरीदेवी जो वादी का माता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ,8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पूर्वज अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है जिनके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो वाद भूमि के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ता 25 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता /भतिजों/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 ,9 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ,8 ,9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 26 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143/3.7310 है व भूमि अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में गंगाबिशन पुत्र खिराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनकी पत्नी अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज हुई थी गंगाबिशन एवं उसकी पत्नी अमरीदेवी दोनों का देहान्त हो चुका है अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार उनके पुत्र/पुत्रीया हुए जिनमें से पुत्र छगनलाल व लादुराम एवं पुत्री गीतादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें भी नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया है अर्थात अमरीदेवी के देहान्त होने पर सजरा खानदान के अनुसार उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 , 10 ता 25 वादी की बहने/मृतक बहनों के पुत्र/पुत्रीया एवं अमरीदेवी की पुत्रीया है उनके पुत्र के वारिसान है प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 ,10 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ,8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8, 9 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143/3.7310हैक भूमि अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में गंगाबिशन पुत्र खिराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनकी पत्नी अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज हुई थी गंगाबिशन एवं उसकी पत्नी अमरीदेवी दोनों का देहान्त हो चुका है अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार उनके पुत्र/पुत्रीया हुए जिनमें से पुत्र छगनलाल व लादुराम एवं पुत्री गीतादेवी का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उनके पुत्र/पुत्रीया है जिनमें भी नरेन्द्र का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान उनके पुत्र पुत्रीया है अर्थात अमरीदेवी के देहान्त होने पर सजरा खानदान के अनुसार उनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि पाने के अधिकारी है वादी अपने कथनों के समर्थन में अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन एवं उनके पुत्र/पुत्रीयों का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र पेश किया जिससे वादी के कथनों की पुष्टि होती है तथा प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 7, 10 ता 25 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7, 10 ता 25 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8, 9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर ब्रह्मा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 7, 10 ता 25 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 25 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143/3.7310हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज है मृतक अमरीदेवी का नाम कलमजन किया वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143 की 3.7310हैक में मृतक लादुराम का 1/4 हिस्सा से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8, 9 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. भागीरथ पुत्र गंगाबिशन जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
वादी

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
2. भजनलाल पुत्र छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
3. कृष्णादेवी पत्नी छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
4. सन्तोष पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
5. मीरा पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
6. सरोज पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
7. सुमन पुत्री छगनलाल जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
8. सन्दीप पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
9. कुलदीप पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
10. शकुन्तला पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
11. विमला देवी पत्नी लादुराम जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
12. विमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
13. मांगीलाल पुत्र गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
14. सावत्री पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
15. कृष्णा पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
16. कलावती पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
17. निरजादेवी पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
18. धापादेवी पुत्री गीतादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
19. किरण बाला पुत्री कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
20. गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
21. मुकेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
22. सन्दीप नाबालिग जरिये कुदरती बली माता गीतादेवी पत्नी राजेन्द्र कुमार पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
23. राजोदेवी पत्नी नरेन्द्र पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
24. नितेश नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजोदेवी पत्नी नरेन्द्र पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
25. सुशीला नाबालिग जरिये कुदरती बली माता राजोदेवी पत्नी नरेन्द्र पुत्र कमलादेवी पुत्री अमरीदेवी जाति खाती निवासी चक राजासर तहसील नोहर ।
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1190 सन 2020 निर्णय दिनांक- 26/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143/3.7310हैक में से 1/4 हिस्सा भूमि अमरीदेवी पत्नी गंगाबिशन के नाम से दर्ज है मृतक अमरीदेवी का नाम कलमजन किया वादी अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिब 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9 दोनो बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है रोही मौजा चक राजासर के खसरा न0 143 की 3.7310हैक में मृतक लादुराम का 1/4 हिस्सा से नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8, 9 बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता हइसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर